प्रतिलिपि आदेश दिनांक 17-6-14 पारित द्वारा श्री अशोक शिवहरे सदस्य राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर प्र0क्र0 निग0 1693-तीन/14 विरुद्ध आदेश दिनांक 26-4-14 पारित द्वारा तहसीलदार सागर जिला सागर प्र0क्र0 23/अ-70/13-14.

श्रीलोग तनय प्रतापसिंह

निवासी ग्राम पिपरिया तहसील व

सागर म0प्र0 --- आवेदक

विरुद्ध

श्रीमति श्वेता जैन पत्नि विजय कुमार जैन

निवासी परकोटा वार्ड सागर तहसील व

जिला सागर म0प्र0 --- अनावेदक

N-2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 1693 / III / 2014 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारो एवं अभिभाष के हस्त

17.6.2014

तहसीलदार सागर व्दारा प्रकरण कमांक 23 /अ–70 / 13–14 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 26–4–14 के विरूद्व यह निगरानी म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क श्रवण किये। उन्होंने बताया कि तहसील न्यायालय में अनावेदक ने संहिता की धारा 250 के अंतर्गत ग्राम पिपरिया की भूमि खसरा नंबर 134 / 3 में से रकबा 0.133 है, के अंशभाग 1000 वर्गफुट पर आवेदक व्दारा अतिकमण कर निर्माण कार्य करने एंव उसे रूकवाने का दावा गलत दायर किया, जिस पर अनावेदक को सुने बिना तहसीलदार ने एकपक्षीय आदेश दिनांक 26–4–14 से निर्माण कार्य रोकने का आदेश देने में त्रृटि की है क्योंकि वादोक्त भूमि ग्राम बसाहट एंव आवादी में है मौके पर किसी प्रकार की सीमांकन नहीं किया गया है। आबादी क्षेत्र होने से तहसीलदार को विवाद के निराकरण के अधिकार न होकर मामला सिविल न्यायालय में विनिश्चत होगा, इसलिये तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जावे।

3/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 243 सहपठित 244 के अवलोकन पर पाया गया कि आवादी क्षेत्र का आरक्षण संहिता की धारा 243 के अंतर्गत कलेक्टर व्दारा किया जाता है वहीं धारा 244 के अंतर्गत ग्राम पंचायत या जहां कोई ग्राम पंचायत गठित न की गई हो वहॉ तहसीलदार आबादी क्षेत्र में के स्थलों का निवटारा करने हेतु अधिकृत हैं, किन्तु यह मामला अनावेदक

की भूमि खसरा नंबर 134/3 में से रकबा 0.133 भूमिस्वामी के भू भाग से संबंधित है, जिसके अंशभाग 1000 वर्गफुट पर आवेदक व्दारा बेजा अतिकमण करके अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है और अनावेदक का यह दावा संहिता की धारा 250 के अंतर्गत पोषणीय होने से तहसीलदार को सुनवाई की शक्तियॉ प्राप्त हैं। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 250 की उपधारा 3 में तहसीलदार को शक्तियां प्राप्त है कि वह उपधारा 2 के अधीन की जाने वाली जांच के किसी भी प्रकम पर आवेदक को अनावेदक से कब्जा दिलाने का अंतरिम आदेश दे सकता है।

4/ तहसीलदार सागर के अंतरिम आदेश दिनांक 26–4–14 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्होंने भूमि खसरा नंबर 134/3 में से रकबा 0.133 है, के अंशभाग 1000 वर्गफुट पर आवेदक व्दारा बेजा अतिकमण करके किये जा रहे अवैध निर्माण कार्य पर निर्माणकर्ता का जवाव आने तक अस्थाई स्थगन जारी किया है जिसमें किसी प्रकार का दोष नजर नहीं आता है। अतः निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। पक्षकार टीप करें । अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

सदस्य